[2021] 6 एस. सी. आर 154

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड।

वी.

आय कर आयुक्त

(2011 की सिविल अपील सं. 9606)

सितंबर 09,2021

[संजय किशन कौल और हृषिकेश रॉय, जे. जे।]

आय कर अधिनियम, 1961 - s.14A-की व्याख्या-निर्धारिती अनुसूचित बैंक हैं और अपने बैंकिंग व्यवसाय के दौरान, वे

बांड, प्रतिभूतियों और शेयरों में निवेश के व्यवसाय में भी संलग्न हैं जो निर्धारिती, ऐसी प्रतिभूतियों और बांडों से ब्याज अर्जित करते हैं और साथ ही इसके शेयरों में निवेश पर लाभांश आय भी अर्जित करते हैं।

कंपनियों और यू. टी. आई. आदि की इकाइयों से जो कर मुक्त हैं-क्या बैंकों द्वारा भुगतान किए गए ब्याज की आनुपातिक अस्वीकृति को कहा जाता है

यू/के लिए s.14A कर मुक्त बॉन्ड/प्रतिभूतियों में किए गए निवेशों के लिए जो निर्धारिती बैंकों को कर मुक्त लाभांश और ब्याज देते हैं, जब निर्धारिती के पास पर्याप्त ब्याज मुक्त अपनी निधि थी जो किए गए निवेश से अधिक थी-आयोजितः आनुपातिक ब्याज की अस्वीकृति

वारंट नहीं है, यू/एस। 14 ए कर मुक्त बॉन्ड/प्रतिभूतियों में किए गए निवेश के लिए जो निर्धारिती को कर मुक्त लाभांश और ब्याज देता है। उन स्थितियों में जहां बैंक, निर्धारिती के पास उपलब्ध ब्याज मुक्त अपनी निधि, उनके निवेश से अधिक है-उच्च न्यायालय ने निर्धारण अधिकारी यू/एस द्वारा किए गए आनुपातिक अस्वीकृति का समर्थन करने में गलती की। 14 ए कर मुक्त बॉन्ड/प्रतिभूतियों में किए गए निवेश की सीमा तक मुख्य रूप से क्योंकि, अलग खाता नहीं रखा गया था।

निर्धारिती द्वारा-हालांकि एक निर्धारिती का निश्चित रूप से आयकर विवरणी दाखिल करते समय पूर्ण सामग्री प्रकटीकरण प्रदान करने का दायित्व होता है, लेकिन निर्धारिती पर विभिन्न प्रकार की निधियों के लिए अलग-अलग खाते बनाए रखने का कोई संबंधित कानूनी दायित्व नहीं है। कर/कराधान-कराधान व्यवस्था में अनुमान लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है और कुछ भी निहित नहीं माना जा सकता है।

निर्धारिती द्वारा दायर अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय

पकड़नाः 1 . ऐसी स्थिति में जब निर्धारिती के पास मिश्रित निधि (आंशिक रूप से ब्याज मुक्त निधि और आंशिक रूप से ब्याज से बनी) हो। वहन निधि) और भुगतान उस मिश्रित निधि से किया जाता है,

2. निर्धारिती द्वारा बांड/शेयरों में किए गए निवेश के लिए यह अस्वीकृति कानूनी रूप से अस्वीकार्य होगी। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 14 ए के तहत ब्याज मुक्त निधि। दूसरे शब्दों में, यदि प्रतिभूतियों में निवेश सामान्य निधियों से किया जाता है और निर्धारिती के पास कर मुक्त प्रतिभूतियों में किए गए निवेश से बड़ी गैर-ब्याज वाली निधि उपलब्ध है, तो ऐसे मामलों में धारा 14 ए के तहत अस्वीकृति नहीं दी जा सकती है। [पैरा 20] [163-ई]

3. उच्च न्यायालय ने आनुपातिक का समर्थन किया

कर-मुक्त बॉन्ड/प्रतिभूतियों में किए गए निवेश की सीमा तक आयकर अधिनियम की धारा 14 ए के तहत निर्धारण अधिकारी द्वारा की गई अस्वीकृति मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि, अलग खाता था

निर्धारिती पर अलग-अलग खाते बनाए रखने का दायित्व इसके द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार की निधियाँ। [पैरा 22] [164-बी-सी; 164-ई-एफ]

4. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सर्कुलर नं. 18 2015 का दिनांक 02.11.2015, जिसने विश्लेषण किया था और फिर समझाया था कि एक बैंक द्वारा रखे गए सभी शेयर और प्रतिभूतियां जो सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) बनाए रखने के लिए नहीं खरीदी जाती हैं।

क्या इसका स्टॉक-इन-ट्रेड है न कि निवेश और उनसे उत्पन्न होने वाली आय बैंकिंग के व्यवसाय के लिए जिम्मेदार है। वापस लौटना

इस स्थिति का दृश्य, जब कोई निष्कर्ष नहीं है कि निर्धारिती के निवेश संबंधित श्रेणी, कर के हैं।

उक्त परिपत्र से अपीलार्थियों के खिलाफ निहितार्थ उत्पन्न नहीं होगा। [पैरा 25,26] [167-बी-सी, ई-एफ] [2021] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5. आयकर अधिनियम की धारा 14 ए के तहत कर मुक्त बांडों/प्रतिभूतियों में किए गए निवेशों के लिए ब्याज की आनुपातिक अस्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, जो उन स्थितियों में निर्धारिती बैंकों को कर मुक्त लाभांश और ब्याज देते हैं जहां -

निर्धारिती के पास उपलब्ध ब्याज मुक्त स्वयं की निधियाँ उनके निवेश से अधिक थीं। उपरोक्त निष्कर्ष पर इसलिए पहुंचा गया है क्योंकि अस्वीकृत व्यय और छूट प्राप्त आय अर्जित करने के बीच संबंध स्थापित नहीं हुआ है। उत्तरदाता अपने इस तर्क को साबित करने में विफल रहे हैं कि निर्धारिती की आवश्यकता थी

अलग-अलग खाते रखें। [पारस 27,28] [167-जी; 168-बी]

6. कराधान व्यवस्था में अनुमान लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है

और कुछ भी निहित नहीं माना जा सकता है। एक व्यक्ति या एक निगम को जो कर देना पड़ता है, वह एक करदाता के लिए योजना बनाने का विषय है और सरकार को अनुपालन को अधिकतम करने के लिए इसे सुविधाजनक और सरल रखने का प्रयास करना चाहिए। जिस तरह सरकार समान रूप से कर से बचना नहीं चाहती है, उसी तरह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह कर की रूपरेखा तैयार करे प्रणाली जिसके लिए कोई विषय बजट और योजना बना सकता है। यदि इनके बीच उचित संतुलन प्राप्त किया जाता है, तो राजस्व सृजन पर समझौता किए बिना अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचा जा सकता है। [पैरा 29] [168 डी-एफ]

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड बनाम आयकर उपायुक्त (2016) 383 आईटीआर 529 (बम): 2016 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 1109; सी. आई. टी. बनाम सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड (2013) 354 आई. टी. आर. 630 (गुजरात): 2013 एस. सी. सी. ऑनलाइन गुजरात 8613; सी. आई. टी. बनाम.

माइक्रोलैब्स लिमिटेड (2016) 383 आई. टी. आर. 490 (कर्ण): 2016 एस. सी. सी. ऑनलाइन कर 8490; और सी. आई. टी. बनाम। मैक्स इंडिया लिमिटेड

(2016) 388 आईटीआर 81 (पी एंड एच): 2016 एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच

6788 मंजूरी दे दी गई।

एसए बिल्डर्स बनाम। सीआईटी (2007) 1 एससीसी 781: [2006] 10 पूरक। एस. सी. आर. 1077 और होंडा सीएल पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम। डीसीआईटी (2012) 12 एससीसी 762-प्रतिष्ठित।

राजस्थान राज्य भंडारण निगम बनाम। सीआईटी (2000) 242 आईटीआर 450 एससीः (2000) 3 एससीसी 126: [2000] 1 एस. सी. आर. 1113; आयकर आयुक्त (बड़ी कर दाता इकाई) v. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (2019) 410 आईटीआर 466 एससीः (2019) 20 एस. सी. सी. 478; मैक्सॉप इन्वेस्टमेंट लिमिटेड बनाम। सी.

आई. टी. (2018) 15 एस. सी. सी. 523 [2018] 2 एस. सी. आर. 783; गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड बनाम।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। वी. आय कर आयुक्त

डीसीआईटी (2017) 7 एससीसी 421: [2017] 3 एस. सी. आर. 602 और

सी. आई. टी वी. नवांशहर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड (2007) 15 एससीसी 611: (2007) 160 टैक्समैन 48 (एससी)

- संदर्भित किया गया।

प्रा. सी. आई. टी वी. बॉम्बे डाइंग और एम. एफ. जी. कं. लिमिटेड आई. टी. ए. 2015 का No.1225 [बॉम्बे उच्च न्यायालय का निर्णय]

और प्रा. सी. आई. टी., वी. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला 2017 (393) आईटीआर

476 (पी एंड एच)-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

पैरा 6

0] 1 एससीआर 1113

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

9) 20 एस. सी. सी. 478

पैरा 18

6) 383 आई. टी. आर. 529 (बम)

मंजूरी मिल गई।

पैरा 19

3) 354 आई. टी. आर. 630 (गुजरात)

मंजूरी मिल गई।

पैरा 19

6) 383 आईटीआर 490 (कर्ण)

मंजूरी मिल गई।

पैरा 19

5) 388 आईटीआर 81 (पी एंड एच)

पैरा 19

मंजूरी मिल गई।

6] 10 पूरक। एससीआर 1077

प्रतिष्ठित

पैरा 21

2) 12 एस. सी. सी. 762

प्रतिष्ठित

पैरा 22

8] 2 एससीआर 783

संदर्भित किया गया है

पैरा 23

7] 3 एससीआर 602

संदर्भित किया गया है

पैरा 24

संदर्भित किया गया है

पैरा 25

7) 15 एससीसी 611

(393) आईटीआर 476 (पी एंड एच)

संदर्भित किया गया है

पैरा 25

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 9

11 .

एच के 21.10.2010 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2009 के आई. टी. ए. No.730 में एर्नाकुलम में केरल का टी.

के साथ 2021 की सिविल अपील संख्या 5610, सिविल अपील Nos.9609,9610,9

, 9608 , 9612 , 9614 , 9613 , 9607 2011 का और सिविल ऐप

3367,2963 2012 से।

विक्रमजीत बनर्जी, ए. एस. जी., एस. गणेश, जहांगीर मिस्त्री, रा.

ए. आर., जोसेफ मार्कोस, अरिजीत प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता। , एस. सुकुमारन, एक [2021] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सुकुमार, भुपेश पाठक, सुश्री मीरा माथुर, संदीप करहैल, जी. एम. कावूसा, अशोक माथुर, एम. पी. विनोद, ई. एम. एस. अनम, प्रताप वेणुगोपाल, सुश्री सुरेखा रमन, अखिल अब्राहम रॉय, विजय वल्सन, मेसर्स के. जे. जॉन एंड कंपनी, सिद्धार्थ सिन्हा, सनोश कुमार, राज बहादुर यादव, ए. वी. रंगम, ए. रघुनाथ, बी. वी. बलराम दास, श्रीमती अनिल कटियार, एच. एस. परिहार, कुलदिप एस. परिहार, सुश्री इक्षिता परिहार, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ऋषिकेश रॉय, जे।

1. संबंधित अपीलों के अनुरूप विचार के लिए एस. एल. पी. (सी) संख्या 32761/2018 में अनुमति दी गई है।

2. अपीलों के वर्तमान समूह में कानून के प्रश्न का उत्तर आयकर अधिनियम की धारा 14 ए की व्याख्या पर दिया जाना है।

संक्षिप्त में "अधिनियम") और वही इस प्रकार हैः

" क्या बैंकों द्वारा भुगतान किए गए ब्याज की आनुपातिक अस्वीकृति

आयकर अधिनियम की धारा 14 ए के तहत मांग की जाती है

कर मुक्त बॉन्ड/प्रतिभूतियों में किए गए निवेश जो निर्धारिती बैंकों को कर मुक्त लाभांश और ब्याज देते हैं जब निर्धारिती के पास पर्याप्त ब्याज मुक्त अपनी निधि थी जो किए गए निवेश से अधिक थी।

4. निर्धारिती अनुसूचित बैंक होते हैं और अपने बैंकिंग व्यवसाय के दौरान वे निवेश के व्यवसाय में भी संलग्न होते हैं। बांड, प्रतिभूतियाँ और शेयर जो निर्धारिती को अर्जित करते हैं, ऐसी प्रतिभूतियों और बांडों से ब्याज के साथ-साथ कंपनियों के शेयरों और यू. टी. आई. की इकाइयों आदि में निवेश पर लाभांश आय जो कर मुक्त हैं।

5. अधिनियम के अध्याय IV में कुल आय की गणना के लिए आय के शीर्ष का प्रावधान है। धारा 14 में, विभिन्न आयों को वेतन, घर की संपत्ति से आय, व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ, पूंजीगत लाभ और अन्य स्रोतों से आय के तहत वर्गीकृत किया गया है। धारा 14 ए उन आय के संबंध में किए गए व्यय से संबंधित है जो कुल आय में शामिल नहीं हैं और जिन्हें दक्षिण भारतीय बैंक लिमिटेड से छूट दी गई है।

वी. आय कर आयुक्त [हृषिकेश रॉय, जे.]

आय के संबंध में निर्धारिती द्वारा किए गए व्यय को अस्वीकार करने के लिए धारा का प्रावधान किया गया है, जो उनकी कुल आय का हिस्सा नहीं है। यदि निर्धारिती कर मुक्त आय अर्जित करने के लिए कोई व्यय करता है जैसे कि उधार ली गई धनराशि के लिए भुगतान किया गया ब्याज, किसी भी व्यवसाय में निवेश के लिए जो कर मुक्त आय अर्जित करता है, तो निर्धारिती ऐसे ब्याज या अन्य व्यय की कटौती का हकदार नहीं है। हालांकि प्रावधान 01.04.1962 से पूर्वव्यापी रूप से पेश किया गया था, पूर्वव्यापी प्रभाव को बाद में वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा 11.05.2001 से प्रभावी एक परंतुक द्वारा बेअसर कर दिया गया था, जिसके तहत, पुनर्मूल्यांकन, मूल्यांकन के सुधार को किसी भी मूल्यांकन वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया गया था, जब तक कि निर्धारण वर्ष 2000-2001, जब परंतुक पेश किया गया था, धारा 14A के तहत कोई अस्वीकृति दिए बिना। इसलिए पहले के आकलनों को अंतिम रूप देने की अनुमति दी गई थी। इस प्रकार धारा 14 ए के तहत अस्वीकृति का उद्देश्य लंबित आकलनों और 2001-2002 से शुरू होने वाले मूल्यांकन वर्षों को शामिल करना था। यह ध्यान दिया जा सकता है कि अपीलों के वर्तमान बैच में, हम चिंतित हैं

2001-2002 के बाद से या लंबित मूल्यांकनों के लिए। 7. शुरुआत में यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थियों में से किसी भी निर्धारिती बैंक ने इसके लिए अलग-अलग खाते नहीं बनाए।

बांड, प्रतिभूतियों और शेयरों में किए गए निवेश जहां कर मुक्त आय अर्जित की जाती है ताकि अस्वीकृति निर्धारिती द्वारा किए गए वास्तविक व्यय तक सीमित हो सके। दूसरे शब्दों में, उधार ली गई निधियों पर भुगतान किए गए ब्याज के लिए किया गया व्यय, जैसे कि प्रतिभूतियों, बांडों और शेयरों में निवेश के लिए उपयोग की जाने वाली जमा, जिससे कर मुक्त आय प्राप्त होती है, आसानी से इस उद्देश्य के लिए बनाए गए एक अलग खाते से संबंधित नहीं हो सकता है। निर्धारिती के अधिभार और अन्य प्रशासनिक व्यय के मामले में भी यही स्थिति है।

1 1 [(2000) 242 आईटीआर 450 एससी]/(2000) 3 एससीसी 126।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8. कर मुक्त आय अर्जित करने वाले निवेश के लिए अलग-अलग खातों के अभाव में, निर्धारण अधिकारी ने कर मुक्त आय अर्जित करने के लिए निवेश किए गए धन पर आनुपातिक ब्याज की अनुमति नहीं दी। इन अपीलों में निर्धारिती ने कर मुक्त बॉन्ड और लाभांश आय से ब्याज के रूप में पर्याप्त कर मुक्त आय अर्जित की थी जो कर मुक्त भी है। यह स्पष्ट है कि कर मुक्त आय अर्जित करने के लिए पर्याप्त खर्च किया जाता है। चूंकि धारा 14 ए के तहत अस्वीकृति देने के लिए वास्तविक व्यय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए निर्धारण अधिकारी ने संबंधित वर्ष के लिए जमा की औसत लागत का उल्लेख करके आनुपातिक अस्वीकृति का निर्धारण किया। सी. आई. टी. (ए) ने

निर्धारण अधिकारी द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत। 9. आई. टी. ए. टी. ने सी. आई. टी. (ए) के खिलाफ निर्धारिती की अपील में निर्धारिती द्वारा उपयोग की जाने वाली अलग-अलग पहचान योग्य निधियों के अभाव पर विचार किया।

कर मुक्त बॉन्ड और शेयरों में निवेश लेकिन पाया कि निर्धारिती बैंक का अविभाज्य व्यवसाय है और उनके व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए, कर मुक्त बॉन्ड और शेयरों में किया गया निवेश इसलिए व्यापार में स्टॉक की प्रकृति में होगा। आई. टी. ए. टी. ने तब देखा कि निर्धारिती बैंक के पास अधिशेष निधि और भंडार हैं जिनसे निवेश किया जा सकता है। तदनुसार, इसने निर्धारिती के मामले को स्वीकार कर लिया कि निवेश केवल ब्याज या लागत वहन करने वाली निधियों से नहीं किया गया था। में।

परिणामस्वरूप, आई. टी. ए. टी. द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा के तहत अस्वीकृति

14 धन की स्पष्ट पहचान के अभाव में ए की आवश्यकता नहीं होती है।

10. आई. टी. ए. टी. के निर्णय को उच्च न्यायालय ने राजस्व द्वारा प्रस्तुत दलीलों को स्वीकार करके उलट दिया था।

अपील और तदनुसार निर्धारिती बैंक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने के लिए हमारे सामने है जो निर्धारिती के खिलाफ था।

11. चूंकि, अधिनियम की धारा 14 ए के दायरे की आवश्यकता होगी

व्याख्या में, उपखंड (2) और (3) के साथ खंड को परंतुक के साथ नीचे निकाला गया हैः -

" 14 ए. आय के संबंध में किया गया व्यय नहीं कुल आय में सम्मिलित-(1) संगणना के प्रयोजनों के लिए

इस अध्याय के तहत कुल आय, निर्धारिती द्वारा किए गए व्यय के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी -

आय जो इसके तहत कुल आय का हिस्सा नहीं है।

एक्ट करें।

(2) निर्धारण अधिकारी ऐसी आय के संबंध में किए गए व्यय की राशि निर्धारित करेगा जो दक्षिण भारतीय बैंक लिमिटेड में नहीं है।

वी. आय कर आयुक्त [हृषिकेश रॉय, जे.]

इस अधिनियम के तहत कुल आय का हिस्सा, ऐसी विधि के अनुसार जो निर्धारित की जाए, यदि निर्धारण अधिकारी, निर्धारिती के खातों को ध्यान में रखते हुए, आय के संबंध में ऐसे व्यय के संबंध में निर्धारिती के दावे की शुद्धता से संतुष्ट नहीं है जो हिस्सा नहीं है।

इस अधिनियम के तहत कुल आय का।

(3) उप-धारा (2) के प्रावधान उस मामले के संबंध में भी लागू होंगे जहां एक निर्धारिती दावा करता है कि उसके द्वारा आय के संबंध में कोई व्यय नहीं किया गया है जो इस अधिनियम के तहत कुल आय का हिस्सा नहीं हैः बशर्ते
कि इस धारा में निहित कुछ भी निर्धारण अधिकारी को धारा 147 के तहत पुनर्मूल्यांकन करने या पारित करने का अधिकार नहीं देगा।

निर्धारण को बढ़ाने या पहले से किए गए धनवापसी को कम करने या अन्यथा धारा 154 के तहत निर्धारिती के दायित्व को बढ़ाने का आदेश, किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए जो निर्धारण पर या उससे पहले शुरू होता है।

1 अप्रैल, 2001 का पहला दिन।

12. उप-धारा (2) और (3) को वित्त अधिनियम, 2006 द्वारा मुख्य धारा में 01.04.2007 से लागू किया गया था।

13. अतः इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए कि क्या धारा 14 ए, विभाग को व्यय पर अस्वीकृति देने में सक्षम बनाती है।

उन मामलों में कर मुक्त आय अर्जित करने के लिए खर्च किया जाता है जहां वर्तमान अपीलार्थी जैसे निर्धारिती, निवेश के लिए अलग खाते नहीं रखते हैं।

14. हमने श्री एस. गणेश, श्री एस. के. बगारिया, श्री जहांगीर मिस्त्री और श्री जोसेफ मार्कोस को सुना है, जो विद्वान वरिष्ठ वकील हैं। याचिकाकर्ताओं। श्री विक्रमजीत बनर्जी, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और श्री अरिजीत प्रसाद, प्रतिवादी/राजस्व की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील को भी सुना।

15. अपीलार्थियों का तर्क है कि बॉन्ड में किए गए निवेश और

शेयरों को ब्याज मुक्त निधियों से बनाया गया माना जाना चाहिए जो किए गए निवेश से काफी अधिक थे और इसलिए निर्धारिती द्वारा अपनी जमाओं और अन्य उधारों पर दिए गए ब्याज को इसमें किया गया व्यय नहीं माना जाना चाहिए। बॉन्ड और शेयरों पर कर मुक्त आय के संबंध में और एक परिणाम के रूप में, अधिनियम की धारा 14 ए के तहत कोई अस्वीकृति नहीं होनी चाहिए। दूसरी ओर, राजस्व के लिए वकील अपने मामले को पेश करने के लिए सी. आई. टी. (ए) और उच्च न्यायालय के तर्क का उल्लेख करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

16. जैसा कि देखा जा सकता है, निर्धारिती की ओर से तर्क को सी. आई. टी. (ए) और उच्च न्यायालय द्वारा भी मुख्य रूप से खारिज कर दिया गया था

इस आधार पर कि निर्धारिती ने अपनी ब्याज मुक्त निधियों को अलग खाते में नहीं रखा था और इस प्रकार बांड/शेयर उनसे खरीदे थे

मिश्रित खाता। इस तरह से उधार/जमा पर भुगतान की गई ब्याज की एक आनुपातिक राशि को खर्च किया गया माना जाता था

बॉन्ड/शेयरों पर कर मुक्त आय अर्जित करें और इस तरह की आनुपातिक राशि को अधिनियम की धारा 14 ए लागू करने की अनुमति नहीं दी गई थी।

17. ऐसी स्थिति में जहां निर्धारिती के पास मिश्रित निधि (संचित) हो।

आंशिक रूप से ब्याज मुक्त निधियों और आंशिक रूप से ब्याज वाली निधियों का) और भुगतान उस मिश्रित निधि से किया जाता है, निवेश होना चाहिए

माना जाता है कि इसे ब्याज मुक्त निधि से बनाया गया है। इसे दूसरे तरीके से कहें तो मिश्रित निधि से किए गए भुगतान के संबंध में, यह निर्धारिती है जिसे विनियोग का ऐसा अधिकार है और यह भी दावा करने का अधिकार है कि निधि के किस हिस्से से एक विशेष निवेश किया जाता है और राजस्व के लिए एक अनुमान लगाने की अनुमति नहीं हो सकती है।

आनुपातिक आंकड़ा। इस तरह के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए, पी. आर. में बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख करना सहायक होगा। सीआईटी वी. बॉम्बे डाइंग और एम. एफ. जी. कं. लिमिटेड 2 जहाँ जवाब के पक्ष में था

इस प्रश्न पर निर्धारिती, कि क्या न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 80 एम के तहत अस्वीकृति को इस धारणा पर हटाने में उचित था कि जब निर्धारिती के लिए उपलब्ध धन ब्याज मुक्त और ऋण दोनों थे, तो किया गया निवेश निर्धारिती के पास उपलब्ध ब्याज मुक्त धन से बाहर होगा, बशर्ते ब्याज मुक्त धन उपलब्ध हो।

निवेश को पूरा करने के लिए पर्याप्त। बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली राजस्व की परिणामी एसएलपी को इस न्यायालय द्वारा योग्यता और देरी दोनों के आधार पर खारिज कर दिया गया था। बॉम्बे उच्च न्यायालय के कानून के उपरोक्त प्रस्ताव की योग्यता की अब सराहना की जाएगी

18. उपरोक्त संदर्भ में, आयकर आयुक्त (बड़ी कर दाता इकाई) बनाम में इसी तरह के निर्णय का उल्लेख करना उचित होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 3 जहाँ इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि जहाँ इस तथ्य का पता चलता है कि ब्याज मुक्त निधि

निर्धारिती के लिए उपलब्ध निवेश को पूरा करने के लिए पर्याप्त था, यह माना जाएगा कि निवेश ऐसी ब्याज मुक्त निधियों से किया गया था। 2 2015 का आई. टी. ए. No.1225 3 (2019) 410 आई. टी. आर. 466 एस. सी./(2019) 20 एस. सी. सी. 478।

19. एचडीएफसी बैंक लिमिटेड में। बनाम आयकर उपायुक्त 1, निर्धारिती एक अनुसूचित बैंक था और उसमें भी मुद्दा था।

धारा 14 ए के तहत अस्वीकृति से संबंधित। इस मामले में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मामले को ट्रिब्यूनल को वापस भेजते हुए भी नए सिरे से निर्णय लेते हुए (एक अलग मूल्यांकन वर्ष के लिए एक ही निर्धारिती के मामले में अपने स्वयं के पिछले निर्णय पर भरोसा करते हुए) कहा कि, यदि निर्धारिती के पास कर मुक्त निवेश की तुलना में पर्याप्त ब्याज मुक्त निधि है

प्रतिभूतियों में, यह अनुमान लगाया जाता है कि जो निवेश कर मुक्त प्रतिभूतियों में किया गया है, वह निर्धारिती के पास उपलब्ध ब्याज मुक्त निधियों से आया है। ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 14 ए लागू नहीं होगी। इसी तरह के विचार अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा सी. आई. टी. बनाम सुजलॉन एनर्जी, सी. आई. टी. बनाम माइक्रोलैब्स लिमिटेड और सी. आई. टी. बनाम मैक्स इंडिया लिमिटेड में व्यक्त किए गए हैं। विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एस. गणेश ने उच्च न्यायालयों से इन मामलों का हवाला देते हुए आगे बताया है कि उन निर्णयों ने अंतिमता प्राप्त कर ली है। इन निर्णयों को पढ़ने पर, हमारी राय है कि उच्च न्यायालयों ने अपने निर्णयों में अधिनियम की धारा 14 ए के दायरे की सही व्याख्या की है

मूल्यांकनकर्ताओं का समर्थन करना।

20. इसी तर्क को लागू करते हुए, अधिनियम की धारा 14 ए के तहत ब्याज मुक्त निधियों का उपयोग करके बांड/शेयरों में निर्धारिती द्वारा किए गए निवेश के लिए अस्वीकृति कानूनी रूप से अस्वीकार्य होगी। दूसरे शब्दों में, यदि प्रतिभूतियों में निवेश सामान्य निधियों से किया जाता है और निर्धारिती के पास कर-मुक्त प्रतिभूतियों में किए गए निवेश से बड़ी गैर-ब्याज वाली निधि उपलब्ध है, तो ऐसे मामलों में धारा 14 ए के तहत अस्वीकृति नहीं दी जा सकती है।

21. राजस्व श्री अरिजीत प्रसाद की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता एस. ए. बिल्डर्स बनाम का उल्लेख करते हैं। सी. आई. टी. एस. जहाँ इस न्यायालय ने मिश्रित निधियों से सहयोगी संस्था को दिए गए धन के संबंध में अस्वीकृति के मुद्दे पर फैसला सुनाया। एस. ए. बिल्डर्स में मुद्दा 2012 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 14729 में इस न्यायालय की बड़ी पीठ के समक्ष विचाराधीन है। सी. आई. टी वी. ट्यूलिप स्टार होटल्स लिमिटेड इसलिए वकील का तर्क है कि जब मिश्रित निधियों का उपयोग किया जाता है तो अस्वीकृति के मुद्दे पर कोई अंतिमता नहीं है। इस पहलू पर, चूंकि यह मुद्दा एक बड़ी पीठ के समक्ष लंबित है, इसलिए इस पीठ की टिप्पणियां उचित नहीं हो सकती हैं। हालांकि,

4 (2016) 383 आईटीआर 529 (बम)/2016 एससीसी ऑनलाइन बम 1109 5 (2013) 354 आईटीआर 630 (गुजरात)/2013 एससीसी ऑनलाइन गुजरात 8613 6 (2016) 383 आईटीआर 490 (कर्ण)/2016 एससीसी ऑनलाइन कर 8490 7 (2016) 388 आईटीआर 81 (पी एंड एच)/2016 एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच 6788 8 [(2007) 1 एससीसी 781] [2021] 6 एस. सी. आर.

साथ ही वर्तमान अपीलों के तथ्यों को एसए बिल्डर्स/ट्यूलिप स्टार होटल्स लिमिटेड के तथ्यों से अलग करना आवश्यक है। उस मामले में, ऋण को सहयोगी संस्था तक बढ़ाया गया था, जबकि यहां निर्धारिती-बैंकों ने बांड/प्रतिभूतियों में निवेश किया है। तथ्यात्मक परिदृश्य अलग और विशिष्ट है और इसलिए वृहद पीठ के समक्ष लंबित मुद्दे का वर्तमान मामलों के लिए इस स्तर पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। 22. उच्च न्यायालय ने आयकर अधिनियम की धारा 14ए के तहत निर्धारण अधिकारी द्वारा कर मुक्त बांडों/प्रतिभूतियों में किए गए निवेश की सीमा तक आनुपातिक अस्वीकृति का समर्थन किया क्योंकि मुख्य रूप से निर्धारिती द्वारा अलग खाता नहीं रखा गया था। इस पहलू पर हम उस कानून के बारे में जानना चाहते थे जो

निर्धारिती को अलग-अलग खाते रखने के लिए बाध्य करता है। हालाँकि, विद्वान ए. एस. जी. संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका और इसके बजाय होंडा सीएल पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड पर भरोसा किया। डी. सी. आई. टी. का तर्क है कि सभी भौतिक तथ्यों का पूरी तरह से खुलासा करना निर्धारिती की जिम्मेदारी है। द.

उद्धृत निर्णय, जैसा कि देखा जा सकता है, मुख्य रूप से आय के पलायन को देखते हुए मूल्यांकन को फिर से शुरू करने से संबंधित है। का विवाद पुनः खोलने के लिए विभाग यह था कि निर्धारिती ने कर-मुक्त लाभांश अर्जित किया था और कमाई के लिए विभिन्न प्रशासनिक खर्चों का दावा किया था

आयकर विवरणी दाखिल करते समय प्रकटीकरण लेकिन निर्धारिती पर विभिन्न प्रकार की निधियों के लिए अलग-अलग खाते बनाए रखने का कोई संबंधित कानूनी दायित्व नहीं है। किसी भी वैधानिक प्रावधान के अभाव में जो निर्धारिती को विभिन्न प्रकार की निधियों के लिए अलग-अलग खाते बनाए रखने के लिए मजबूर करता है, विद्वान ए. एस. जी. द्वारा उद्धृत निर्णय का निर्धारिती के खिलाफ राजस्व के तर्क का समर्थन करने के लिए कोई आवेदन नहीं होगा। 23. अब मैक्सॉप इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को कुछ विस्तार से विज्ञापन देना उचित होगा। सी. आई. टी 1. दिलचस्प बात यह है कि इस मामले पर दोनों पक्षों के वकील भरोसा करते हैं। पीठ के लिए लिखते हुए, न्यायमूर्ति डॉ. ए. के. सीकरी ने निम्नलिखित शब्दों में अधिनियम में धारा 14ए को शामिल करने के उद्देश्य का उल्लेख कियाः -

9 [(2012) 12 एससीसी 762]

10 (2018) 15 एस. सी. सी. 523 साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड वी. आय कर आयुक्त [हृषिकेश रॉय, जे.]

" 3 ..... अधिनियम की धारा 14-ए के पीछे का उद्देश्य

संबंध में किए गए व्यय की कटौती की अनुमति नहीं देना आय, जो कुल आय का हिस्सा नहीं है, यह सुनिश्चित करने के लिए है कि निर्धारिती को दोहरा लाभ न मिले। एक बार जब किसी विशेष आय को कुल आय में शामिल नहीं किया जाता है और उसे कर से छूट दी जाती है, तो ऐसी आय अर्जित करने में किए गए व्यय की कटौती का लाभ देने का कोई उचित आधार नहीं है।

आय.. . "

धारा 14 के दायरे की व्याख्या करते हुए निम्नलिखित लिखा गया था

" 41. सबसे पहले, यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि

अधिनियम की धारा 14-ए (1), उस व्यय की कटौती की अनुमति नहीं है जो निर्धारिती द्वारा "आय के संबंध में जो इस अधिनियम के तहत कुल आय का हिस्सा नहीं है" किया गया है। स्वयंसिद्ध रूप से, यह केवल वह व्यय है जो कुल आय में शामिल आय के संबंध में किया गया है जिसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यदि किए गए व्यय का छूट प्राप्त आय के साथ कोई कारणात्मक संबंध नहीं है, तो ऐसा

स्पष्ट रूप से व्यय को संबंधित नहीं माना जाएगा

आय जिसे कर से छूट दी गई है और ऐसे व्यय को व्यावसायिक व्यय के रूप में अनुमति दी जाएगी। इसे अलग तरह से रखने के लिए, इस तरह

तब व्यय को अन्य आय के संबंध में किया गया व्यय माना जाएगा जिसे कुल आय का हिस्सा माना जाएगा। "

कानून को स्वीकार करते हुए, जैसा कि यह पहले था, इस न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सुझाए गए प्रमुख उद्देश्य को खारिज कर दिया और व्यय के विभाजन के सिद्धांत को स्वीकार किया, केवल व्यवसाय विभाजित था, जैसा कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तावित किया गया था।

टी.

अंत में व्यापार के रूप में रखे गए शेयरों पर व्यय के मुद्दे पर निर्णय लेते हुए, न्यायमूर्ति द्वारा निम्नलिखित प्रमुख टिप्पणियां की गईं:

" 66 50. यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उन मामलों में जहां शेयरों को "स्टॉक-इन-ट्रेड" के रूप में रखा जाता है, उन शेयरों में एक व्यावसायिक प्रस्ताव के रूप में सौदा करना निर्धारिती की एक व्यावसायिक गतिविधि बन जाती है। लाभांश अर्जित किया जाता है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वास्तव में, यह भाग्य की विचित्रता होगी कि जब निवेशक कंपनी लाभांश घोषित करती है, तो वे शेयर निर्धारिती के पास होते हैं, हालांकि [2021] 6 एस. सी. आर.

निर्धारिती को अंततः उन शेयरों को बेचकर उनका व्यापार करना पड़ता है।

मुनाफा कमाने के लिए। इसलिए यहां की स्थिति इससे अलग है।

मैक्सॉप इन्वेस्टमेंट लिमिटेड [मैक्सॉप इन्वेस्टमेंट] जैसा मामला लिमिटेड वी. सी. आई. टी., 2011 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 4855: (2012) 347 आई. टी. आर. 272]

जहाँ निर्धारिती उन शेयरों को अपने पास बनाए रखेगा।

निवेशक कंपनी पर नियंत्रण बनाए रखना चाहता है। उस मामले में,

जब भी निवेशक कंपनी द्वारा लाभांश घोषित किया जाता है कि अनिवार्य रूप से निर्धारिती और निर्धारिती द्वारा अर्जित किया जाएगा

अकेले। इसलिए, उन शेयरों में निवेश करते समय भी,

निर्धारिती जानता है कि यह लाभांश आय भी उत्पन्न कर सकता है

और जब और जब ऐसी लाभांश आय उत्पन्न होती है जो

निर्धारिती द्वारा अर्जित किया जाना। इसके विपरीत, जहां शेयर हैं

स्टॉक-इन-ट्रेड के रूप में आयोजित, यह आवश्यक रूप से एक स्थिति नहीं हो सकती है।

मुख्य उद्देश्य यह है कि जब भी शेयर हो, उन शेयरों का परिसमापन किया जाए।

मुनाफा कमाने के लिए कीमत बढ़ जाती है।

99

विद्वान न्यायाधीश ने तब नियम 8 डी के निहितार्थ पर विचार किया

अधिनियम की धारा 14-ए (2) के संदर्भ में नियमों के प्रावधान और स्पष्ट किया कि विभाजन के सिद्धांत को लागू करने से पहले, मूल्यांकन अधिकारी को केवल उन मामलों में स्वतः मंजूरी न देने पर संतुष्टि दर्ज करनी चाहिए, जहां निर्धारिती द्वारा विभाजन किया गया था। इस निर्णय के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित प्रासंगिक हैः

... . यह उन मामलों में होगा जहां निर्धारिती

51. .....

उक्त विभाजन को स्वीकार करना। उस स्थिति में, यह होगा इस प्रभाव से अपनी संतुष्टि दर्ज करने के लिए। .....

24. धारा 14 ए से संबंधित एक और महत्वपूर्ण निर्णय

जिस अस्वीकृति पर विचार किया जाना चाहिए वह है गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड वी. डीसीआईटी "। यहाँ निर्धारिती ने

निवेश करने के लिए पर्याप्त ब्याज मुक्त निधियों तक पहुंच और यह मुद्दा लाभांश आय अर्जित करने के लिए किए गए व्यय की अस्वीकृति से संबंधित था, जो निर्धारिती की कुल आय का हिस्सा नहीं था। डिवीजन बेंच की ओर से राय लिखते हुए जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि आय अर्जित करने में किए गए खर्च की अनुमति नहीं देने के लिए, यह एक पूर्ववर्ती शर्त है कि ऐसी आय निर्धारिती की कुल आय में शामिल नहीं होनी चाहिए। इस न्यायालय ने तदनुसार निष्कर्ष निकाला कि धारा 14 ए के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए, छूट प्राप्त आय अर्जित करने के लिए किए जा रहे इस तरह के खर्च के बारे में तथ्य का प्रमाण हैः

11 (2017) 7 एससीसी 421।

आवश्यक है। न्यायमूर्ति गोगोई के फैसले का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः

" 36. ..... जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है वह यह है कि आवश्यकता

अधिनियम की धारा 14-ए (1) के प्रावधानों को आकर्षित करना इस तथ्य का प्रमाण है कि जिस व्यय की अनुमति नहीं दी गई थी/कटौती की गई थी, वह वास्तव में लाभांश आय अर्जित करने में किया गया था।

25. अब एक अन्य पहलू की ओर बढ़ते हुए, यह देखा गया है कि केंद्रीय

प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सर्कुलर नं. 18 2015 का दिनांक 02.11.2015, जिसने विश्लेषण किया था और फिर समझाया था कि किसी बैंक द्वारा रखे गए सभी शेयर और प्रतिभूतियां जो सांविधिक तरलता अनुपात (एस. एल. आर.) को बनाए रखने के लिए नहीं खरीदे गए हैं, वे उसके स्टॉक-इन-ट्रेड हैं न कि निवेश और उनसे उत्पन्न होने वाली आय, बैंकिंग व्यवसाय के लिए जिम्मेदार है। यह परिपत्र सी. आई. टी. बनाम नवांशहर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड "2 के बाद जारी किया गया था जिसमें इस न्यायालय ने कहा था कि बैंकिंग संस्थान द्वारा किया गया निवेश उनके बैंकिंग व्यवसाय का हिस्सा है। अतः ऐसे निवेशों के माध्यम से अर्जित आय

यह व्यवसाय के लाभ और लाभ शीर्षक के अंतर्गत आता है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने प्रा. सी. आई. टी. बनाम स्टेट बैंक ऑफ पटियाला 1 3

सीबीडीटी परिपत्र में विज्ञापन करते हुए, सही निष्कर्ष निकाला कि शेयर

और बैंक द्वारा धारित प्रतिभूतियाँ व्यापार में स्टॉक हैं, और ऐसे शेयरों और प्रतिभूतियों पर प्राप्त सभी आय को व्यावसायिक आय माना जाना चाहिए। यही कारण है कि धारा 14 ए ऐसी आय की ओर आकर्षित नहीं होगी।

26. यहां की स्थिति पर लौटते हुए, राजस्व यह तर्क नहीं देता है कि निर्धारिती बैंकों ने परिपत्र में उल्लिखित वैधानिक तरलता अनुपात (एस. एल. आर.) को बनाए रखने के लिए प्रतिभूतियों को रखा था। नज़र में

इस स्थिति का, जब कोई निष्कर्ष नहीं मिलता है कि निवेश

निर्धारिती संबंधित श्रेणी के हैं, उक्त परिपत्र से अपीलार्थियों के खिलाफ कर निहितार्थ उत्पन्न नहीं होगा।

27. उपरोक्त चर्चा और उद्धृत निर्णय इस न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालने की सलाह देते हैं कि ब्याज की आनुपातिक अस्वीकृति नहीं है। आयकर अधिनियम की धारा 14 ए के तहत कर मुक्त बॉन्ड/प्रतिभूतियों में किए गए निवेश के लिए वारंट, जो कर मुक्त लाभांश और ब्याज देते हैं।

निर्धारिती बैंकों को उन स्थितियों में जहां निर्धारिती के पास उपलब्ध ब्याज मुक्त अपनी निधि उनके निवेश से अधिक हो। इसके साथ

12 [(2007) 15 एससीसी 611]/[(2007) 160 टैक्समैन 48 (एससी)] 13 2017 (393) आईटीआर 476 (पी एंड एच)

निष्कर्ष में, हम मूल्यांकनकर्ताओं के पक्ष में विद्वान आई. टी. ए. टी. द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हैं।

28. उपरोक्त निष्कर्ष पर इसलिए पहुंचा गया है क्योंकि अस्वीकृत व्यय और छूट की कमाई के बीच संबंध स्थापित नहीं हुआ है।

आय। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, उत्तरदाता अपने इस तर्क को साबित करने में विफल रहे हैं कि निर्धारिती को अलग बनाए रखने की आवश्यकता थी

खाते। इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए होंडा सीएल (सुप्रा) पर उनकी निर्भरता निर्धारिती पर दायित्व, पहले से ही नकार दिया गया है। के लिए विद्वान सलाहकार

राजस्व किसी भी वैधानिक प्रावधान का उल्लेख करने में विफल रहा है जो निर्धारिती को अलग-अलग खाते बनाए रखने के लिए बाध्य करता है जो उचित हो सकता है।

आनुपातिक अस्वीकृति।

29. उपरोक्त संदर्भ में, एडम स्मिथ के अपने मौलिक कार्य-द वेल्थ ऑफ नेशंस में निम्नलिखित कथन को उपयुक्त रूप से उद्धृत किया जा सकता हैः

" प्रत्येक व्यक्ति को जो कर देना है, वह होना चाहिए -

निश्चित और मनमाना नहीं। भुगतान का समय, भुगतान का तरीका, भुगतान की जाने वाली राशि सभी स्पष्ट और स्पष्ट होनी चाहिए।

योगदानकर्ता और हर दूसरे व्यक्ति के लिए।

सरकार समान रूप से कर से बचना नहीं चाहती है, यह शासन की जिम्मेदारी है कि वह एक ऐसी कर प्रणाली तैयार करे जिसके लिए कोई विषय बजट और योजना बना सके। यदि इनके बीच उचित संतुलन प्राप्त किया जाता है, राजस्व सृजन से समझौता किए बिना अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचा जा सकता है।

30. चालू चर्चा को ध्यान में रखते हुए, इन अपीलों में बनाए गए मुद्दे का जवाब राजस्व के खिलाफ और निर्धारिती के पक्ष में दिया जाता है। निर्धारिती द्वारा अपीलों को तदनुसार बिना किसी आदेश के अनुमति दी जाती है। लागतों पर।

अ

पीलों की अनुमति दी गई।

बिभूति भूषण बोस